धारा 4(1)(b)-iv

कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड

अपीलों शिकायतों को सामान्यत: सुनवाई हेतु पहले आओ पहले पाओ आधार पर सुनवाई हेतु लिया जाता है। जब कभी भी प्रतिवादी/अपीलकर्ता के एक से अधिक वाद होते हैं, ऐसे वादों को एक साथ संयुक्त किया जाएगा, ताकि वे एक ही तिथि को सुने जा सकें। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को मामले के आधार पर क्रम के बगैरअनुरोध पर विचार करते हुए लिखित रूप में दर्ज किए गए कारण के लिएप्राथमिकता दी जा सकती है।(कार्यवृत 13122011. pdf)

आयोग अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निस्तारण की अपनी जवाबदेही से अवगत है। इस उद्देश्य के लिए, इसने निश्चय किया है कि आयोग की प्रत्येक एकल पीठ गुणवत्ता से समझौता किए बगैर अपने निस्तारण को अधिकाधिक करेगी।प्रत्येक एकल पीठ प्रत्येक वर्ष 3200अपीलों/शिकायतों का अंतिम रूप से निर्णय करने का प्रयत्न करेगी। (कार्यवृत 22032011. pdf)

प्रशासनिक कार्यों के लिए, केंद्र सरकार के नियम, जैसा की लागू है, अपनाया जाता है।